स्थापना वर्ष– 1966

महात्मा गाँधी बालिका विद्यालय (पी.जी) कॉलेज, फीरोजाबाद

सम्बद्ध– डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

NAAC Accredited : B+Grade

Website : mgbvpgcollege.com
Email Id : mgbvpgcfzd@yahoo.com

Prospectus

2021-2022

मूल्य 250/– रुपया

संख्या–

महात्मा गॉधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज, फिरोजाबाद

www.mgbvpgcollege.com

Email: mgbvpgcfzd@yahoo.com

परिचय-(Introduction)

महात्मा गॉधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज, महात्मा गॉधी सेवा–संघ, फिरोजाबाद की प्रेरणा एवं शहर के गणमान्य नागरिकों के तन–मन–धन के सक्रिय सहयोग से पं. बालबिहारी लाल शर्मा के नेतृत्व में किए गए प्रयासों का साकार स्वरुप है।

वर्ष 1952 में महात्मा गॉधी बालिका माध्यमिक विद्यालय के रुप में तिलक भवन से उदित हो वर्ष 1966 में आगरा विश्वविद्यालय से कला–संकाय में स्नातक पाठ्यक्रम की सम्बद्वता प्राप्त कर महाविद्यालय के रुप में एस0 एन0 रोड पर पल्लवित हुआ। महाविद्यालय ने श्री बालकृष्ण गुप्त के अध्यक्षीय कार्यकाल में सचिव पं. बालबिहारी लाल द्वारा प्रबन्ध समिति के सक्रिय सहयोग से वर्ष 1971 में स्नातक विज्ञान–संकाय की सम्बद्वता प्राप्त की। वर्ष 1983 में स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत एवं संगीत गायन की सम्बद्वता प्राप्त कर नगर की बालिकाओं के सर्वागींण विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

वर्ष 2001 में पं0 बालबिहारी लाल के अध्यक्षीय कार्यकाल में महाविद्यालय के युवा सचिव श्री सुनील अग्रवाल ने स्ववित्त पोषित अनुभाग की स्थापना कर डॉ0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्याल, आगरा (पूर्ववर्ती–आगरा विष्वविद्यालय, आगरा) से बी0एससी0 (गृहविज्ञान) की सम्बद्वता प्राप्त की। पुनः वर्ष 2003 में बी0कॉम0 और एम.एससी. (जन्तु विज्ञान) में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सम्बद्वता प्राप्त कर जनपद की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा का वृहद क्षेत्र विकसित किया। वर्ष 2006 में प्रबन्ध समिति एवं तत्कालीन सचिव श्री डी0 एन0 शर्मा के सद् प्रयासों से स्ववित्त पोषित अनुभाग का सर्वागीण विकास हुआ। एम0 ए0 (समाजशास्त्र) की सम्बद्वता स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सन् 2007–2008 से प्राप्त करने के बाद एम0एससी (रसायन विज्ञान) की सम्वद्वता सत्र 2009–2010 से प्राप्त की। स्नातक स्तर पर बी0ए0 में एक विषय के रुप में शिक्षाशास्त्र की सम्वद्वता सत्र 2010–2011 से प्राप्त की।

वर्ष 2016 में वर्तमान प्रबन्ध समिति एवं सचिव श्री अनिल उपाध्याय के कार्यकाल में महाविद्यालय का नैक मूल्याकंन कराया गया। जिसमें महाविद्यालय को B+ Grade प्राप्त हुआ।

परिकल्पना -(Vision)

महाविद्यालय की परिकल्पना नगर में ऐसा सोहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना है, जिसमें बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्म–निर्भर बनाया जा सके।

लक्ष्य -(Mission)

महाविद्यालय का लक्ष्य छात्राओं के मन में यह चेतना जागृत करना है कि स्वंय के साथ–साथ समाज एवं राष्ट्र के सर्वागींण विकास में भी उनकी समान रुप से बराबर की भागीदारी है।

उद्देश्य -(Objective)

जाति, वर्ग एवं धर्म–भेद–भाव के बिना स्वस्थ षिक्षा प्रदान कर बालिकाओं का सर्वागींण विकास करना महाविद्यालय का उद्देश्य है। महाविद्यालय को बालिकाओं की उच्च षिक्षा के क्षेत्र में नगर की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का श्रेय और गौरव प्राप्त है।

भवन -(Building)

महाविद्यालय का अपना निजी भवन शहर के सुरक्षित वातावरण के मध्य एस0 एन0 रोड पर स्थित है। हवादार विषाल शिक्षण कक्ष, स्वर्गीय सेठ कुन्दनलाल–उमरावलाल की स्मृति में निर्मित भव्य हॉल एवं मनमोहक उद्यान से महाविद्यालय–परिसर सुशोभित है। संकाय/ विभागानुसार पृथक–पृथक कक्ष आवटिंत है। विज्ञान संकाय में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध समिति के अथक प्रयासों से तीन मंजिला भवन निर्मित है। बी0एससी (गृहविज्ञान) के विभिन्न कक्षों एवं प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण कर आधुलिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। बी0ए0 (गृहविज्ञान) व (मनोविज्ञान) हेतु उपकरणों से सुसज्जित लैब विद्यमान है।

पुस्तकालय -(Library)

महाविद्यालय में विशाल पुस्तकालय है। जिसमें पुस्तकों के रख–रखाव तथा छात्राओं के बैठकर अध्ययन करने की समुचित व्यवस्था है। पुस्तकालय में प्रतिवर्ष पाठ्यक्रमानुसार नवीन पुस्तकें क्रय की जाती हैं, जिससे पुस्तकों की संख्या में वृद्वि होती रहती है। नवीन अलमारियां आदि क्रय कर पुस्तकालय को आधुनिक रुप से सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित करने का विशेष प्रयास किया गया है। छात्राओं की बढ़ती सख्या को देखते हुए तथा सुविधाओं में विस्तार हेतु तीन मंजिला विषाल पुस्तकालय भवन निर्मित है।

वाचनालय में अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं, मासिक पत्रिकाओं, प्रतियोगी पत्रिकाओं तथा अन्य विभागीय पत्रिकाओं की व्यवस्था है।

पुस्तकालय में कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट की व्यवस्था है। छात्राओं हेतु शुद्व पीने के पानी की व्यवस्था हेतु आर.ओ. मशीन की व्यवस्था की गई है।

बुक बैंक योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से संचालित बुक बैंक योजना से निर्धन एवं योग्य छात्रायें पूरे सत्र के लिए पुस्तकीय सहायता प्राप्त कर सकती है। बुक बैंक से पुस्तकें लेने वाली छात्राओं को पुस्तकों के मूल्य का 01 प्रतिशत शुल्क जमा करना होगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना - (N.S.S.)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधा फरवरी–1974 से उपलब्ध है। युवा विद्यार्थियों में समाजिक चेतना और राष्ट्र के प्रति दायित्व–बोध जागृत करने के उद्देश्य से संचालित इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय–प्रांगण में स्वच्छता, ग्रामीण अंचलों में शिविरों का आयोजन, वृक्षारोपण, रोग–उन्मूलन, साक्षरता, स्वास्थ्य–शिक्षा, प्रौढ़–शिक्षा, बाल–शिक्षा, स्त्री एवं बाल कल्याण जागरुकता आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिससे छात्राओं में समाज सेवा की भावना का प्रादुर्भाव होता है। वर्तमान में महाविद्यालय में इसकी 02 इकाईयां कार्यरत हैं।

खेलकूद एवं रेन्जर्स

महाविद्यालय द्वारा योग्य क्रीड़ाधिकारी व प्रशिक्षक की देख–रेख में विविध खेल– प्रतियोगिताऐं आयोजित की जाती है। छात्राओं को अन्तर्महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। महाविद्यालय में छात्राओं हेतु जिम (Gym) की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत रेन्जर्स प्रतियोगिताऐं आयोजित की जाती हैं। रेन्जर्स के लिए अपने ''घोष'' की भी व्यवस्था है। ''लक्ष्मीबाई रेन्जर्स दल'' में छात्राओं का पंजीकरण किया जाता है।

सांस्कृतिक गतिविधियां

महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण उत्साह के साथ किया जाता है। निबन्ध लेखन, वाद–विवाद, भाषण, कविता, श्लोक–गायन, नृत्य, नाटिका, मेहन्दी, रंगोली, कलश–सज्जा, विज्ञान–प्रदर्शिनी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर योग्य एवं मेधावी छात्राओं को प्रतिभा–प्रदर्शन का पूर्ण अवसर और प्रोत्साहन प्रदान कर पुरुस्कृत किया जाता है।

छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता

सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति शासन के नियमानुसार देय होगी। छात्रवृत्ति के अतिरिक्त मेधावी छात्राओं को महाविद्यालय अन्य सुविधा भी प्रदान करता है। शासन द्वारा प्रदत्त शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार होगी, किन्तु छात्राओं को प्रवेश लेते समय ही छात्रवृत्ति व शुल्कप्रतिपूर्ति का फार्म नियमानुसार शासन की समय–सारिणी के अनुसार त्रुटिरहित ऑनलाइन भरकर जमा करना होगा। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण फार्म जमा करने पर फार्म निरस्त कर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति व शुल्कप्रतिपूर्ति शासन द्वारा उपलब्ध बजट/मेरिट लिस्ट के अनुसार देय होगी। छात्रवृत्ति हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर नियमानुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

शोध सुविधा

महाविद्यालय में संस्कृत और संगीत विषय में शोध कार्य (पी–एच.डी.) करने की सुविधा उपलब्ध है। शोधार्थियों के पठन–पाठन इत्यादि की पृथक से व्यवस्था है। तथापि उक्त सुविधा शोध के नवीन नियमों के अन्तर्गत ही प्रदान की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा तथा शोध छात्र/छात्रा आवटिंत किये जायेगें।

महाविद्यालय के नियम एवं परिनियम

1. प्राचार्या/मुख्य अनुशासन अधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेषों का पालन करना प्रत्येक छात्रा के लिए अनिवार्य है।

2. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान में नियमित आना अनिवार्य है।

3. महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करते समय परिचय–पत्र साथ लाना अनिवार्य है। मुख्य अनुशासन अधिकारी (प्रोक्टर) के मॉगने पर छात्रा को अपना परिचय पत्र दिखाना होगा।

4. कोविड–19 को देखते हुए प्रत्येक छात्रा को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है।

5. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

6. किसी भी छात्रा के रैगिंग में लिप्त पाए जाने अथवा अभद्रव्यवहार करने पर सुसंगत नियमों के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। दोषी छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

7. महाविद्यालय परिसर में अकारण चहल–कदमी प्रतिबन्धित है। छात्राऐं समूह में न रहें और मास्क आदि का प्रयोग करें। सामाजिक दूरी का पालन करें तथा कोविड–19 सम्बन्धी सभी दिशा–निर्देशो का पालन करें।

8. माता–पिता तथा अभिभावक जिनकी फोटो पहचान पत्र पर चस्पा है, केवल उन्हीं को महाविद्यालय में छात्रा के सम्बन्ध में बात करने अथवा उससे मिलने की अनुमति होगी।

9. महाविद्यालय परिसर की सम्पत्ति एवं पर्यावरण को क्षति पहुॅचाना दण्डनीय अपराध है।

10. सूचना पट/वेबसाइट पर समय–समय पर प्रदर्षित सूचनाओं का संज्ञान लेना छात्राओं का कर्तव्यहै

    अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्रा का होगा।

11. छात्राओं के लिए कक्षाओं/ऑनलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 15 दिवस निरन्तर अनुपस्थित रहने पर नाम काटा जा सकता है।

12. उपर्युक्त नियमों/परिनियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्द्वन संशोधन अनुमन्य होगा।

(शासकीय सहायता प्राप्त) स्थाई सम्वद्वता सम्बन्धी विवरण (क)

क्र.सं	विषय का नाम	स्नातक स्तर पर स्थाई सम्वद्वता
1.	हिन्दी	कुलाधिपति के पत्र सं0 7327/दिनांकः07.08.1966 से सम्बद्वता (कला संकाय)
2.	अंग्रेजी	तदैव
3.	मनोविज्ञान	तदैव
4.	अर्थशास्त्र	तदैव
5.	राजनीति शास्त्र	तदैव
6.	समाजशास्त्र	तदैव
7.	संगीत (गायन)	तदैव
8.	गृह विज्ञान	जुलाई – 1973 से सम्बद्वता
9.	चित्रकला	तदैव
10.	उर्दू	जुलाई – 1979 से सम्बद्वता
11.	संस्कृत	जुलाई – 1980 से सम्बद्वता
12.	जन्तु विज्ञान	एफिल/104 दि0 12.07.74 राजाज्ञा के पत्र संख्या 2984 (1) जी0एस0 दिनांक 20.06.74 से विज्ञान संकाय (Bio Group) में सम्वद्वता
13.	वनस्पति विज्ञान	तदैव
14.	रसायन विज्ञान	तदैव

(शासकीय सहायता प्राप्त) स्थाई सम्वद्वता सम्बन्धी विवरण (ख)

क्र.सं	विषय का नाम	स्नातकोत्तर स्तर पर स्थाई सम्बद्वता
1.	एम. ए. (संस्कृत)	एफिल/1824 दि. 27.10.83 (राजाज्ञा के पत्र संख्या 5783/जी.एस. दिनांक 13.10.83 से एम.ए. (संस्कृत) की सम्वद्वता
2	एम. ए. (संगीत–गायन)	एफिल/1824 दि. 27.10.83 (राजाज्ञा के पत्र संख्या 5783/जी.एस. दिनांक 13.10.83) से एम.ए. (संगीत–गायन) की सम्वद्वता

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सम्वद्वता सम्बन्धी विवरण स्नातक–स्नातकोत्तर

क्र.सं	विषय का नाम	स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर स्थाई सम्वद्वता
1.	बी.एस–सी. (गृहविज्ञान संकाय)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई/559/65/02/07/01 से सम्बद्वता प्राप्त
2.	बी. कॉम (वाणिज्य संकाय)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई/2655/जी.एस. दि0 20.09.03 के द्वारा दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्वता प्राप्त
3.	बी.ए. (शिक्षाशास्त्र) एक विषय	(स्ववित्त पोषित) सम्वद्वन–471 सत्तर–2–2009–2(577)/2009 के द्वारा दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्वता प्राप्त
4.	एम. ए. (समाजशास्त्र)	(स्ववित्त पोषित) संख्या – 5166 सत्तर–2–2007–2 (135) 2004 दिनांक 17.03.2008 के द्वारा दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्वता प्राप्त
5.	एम.एससी. (जन्तु विज्ञान)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई/2655/जी.एस. दि0 20.09.03 के द्वारा दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्वता प्राप्त
6.	एम.एससी. (रसायन विज्ञान)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक सं0–3239/सत्तर–2–2009–2(135)/2004 दिनाक 17.11.2009 के द्वारा दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्वता प्राप्त

अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम

डॉ. भीमराव आम्बेडकर विष्वविद्यालय, आगरा से शासकीय सहायता प्राप्त स्थाई सम्वद्वता प्राप्त विषय–

(क) कला संकाय - (1)

स्नातकोत्तर (एम.ए.) –द्विवर्षीय पाठ्यक्रम – संस्कृत, संगीत–गायन

(2) स्नातक (बी.ए.) – त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एवं सेमिस्टर प्रणाली – राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन
हिन्दी भाषा, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू, संगीत गायन, चित्रकला, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र एक विषय–स्ववित्त पोषित, शारीरिक शिक्षा

(ख) विज्ञान संकाय -

स्नातक (बी.एससी.) – त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एवं सेमिस्टर प्रणाली – राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन
वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान
शारीरिक शिक्षा

स्ववित्त - पोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम

(क) विज्ञान संकाय -

1– स्नातकोत्तर – द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

एम.एससी. – जन्तु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान

2– स्नातक – त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (सेमिस्टर प्रणाली)

बी.एससी. (गृहविज्ञान)

(ख) कला संकाय -

1– स्नातकोत्तर – द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

एम. ए. (समाजषास्त्र)

(ग) वाणिज्य संकाय -

1– स्नातक – त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एवं सेमिस्टर प्रणाली

बी.कॉम.

विषय - चयन हेतु नियम

(क) कला संकाय - स्नातक प्रथम वर्ष के लिए - (प्रथम एवं द्वितीय सेमिस्टर)

(1) **मेजर विषय का चुनाव**

(अ) भाषा संकाय

(ब) कला एवं मानविकी

(स) ललित कला

नोट (2) **माइनर विषय का चुनाव**

उपर्युक्त विषयों में से चयन करते समय प्रतिबन्ध होगा कि प्रतिबन्ध ये हैं कि नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत विषयों के चयन के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले नियम लागू होगें।

1. छात्राऐं विषयों का चयन सावधानी पूर्वक करें। प्रवेष समिति द्वारा स्वीकृत विषय किसी दशा में बदले नहीं जायेंगें।
2. प्रत्येक विषय में 60 की संख्या पूर्ण होने तक ही प्रवेश दिये जायेगें।
3. छात्रा दो से अधिक प्रयोगात्मक विषय अथवा साहित्य नहीं ले सकेगी।
4. हिन्दी भाषा, सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य संस्कृत में कोई एक विषय

यदि छात्रा चाहे तो ले सकती है।

5. बी0ए0 द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में छात्राएँ पूर्व में चयनित मुख्य विषय ही ले सकती है।

6. बी0ए0 तृतीय वर्ष में छात्राएं बी0ए0 द्वितीय वर्ष में चयनित तीन विषयों में से किन्ही दो विषयों का चयन करेगी। किन्तु हिन्दी भाषा, सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य संस्कृत नहीं ले सकेगी। अथवा विश्वविद्यालय का परिवर्तित नियमावली प्रभावी होंगे

(ख) विज्ञान संकाय - स्नातक प्रथम वर्ष के लिए -

(क) अनिवार्य विषय – (1) राष्ट्रगौरव और पर्यावरण अध्ययन

(ख) मुख्य विषय – निम्नलिखित में से किन्ही तीन विषयों का चयन करें

(1) रसायन विज्ञान (2) वनस्पति विज्ञान (3) जन्तु विज्ञान (4) शारीरिक शिक्षा

स्नातक द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की छात्राएँ पूर्व में चयनित विषय ही लेंगी।

स्नातक तृतीय वर्ष की छात्राएं स्नातक द्वितीय वर्ष के मुख्य विषयों में से दो विषयों का चयन करेगी। अथवा विश्वविद्यालय की परिवर्तित नियमावली प्रभावी होगें।

(ग) वाणिज्य संकाय - स्नातक प्रथम वर्ष के लिए -

(क) अनिवार्य विषय – (1) राष्ट्रगौरव और पर्यावरण अध्ययन

(ख) मुख्य विषय – निम्नलिखित में से किन्ही तीन विषयों का चयन करें

(1) व्यावसायिक प्रशासन (Business Administration)

(2) लेखा एवं विधि (Account & Law)

(3) व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र (Applied Business Economics)

स्नातक द्वितीय तथा तृतीय वर्ष की छात्राएँ पूर्व में चयनित विषय ही ले सकती है।

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली सत्र 2021-22

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनयम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ सांईसेज, इंजीनियरिंग तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवम् उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेगें।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।
3. सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पाँच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके छटे चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं भरना होगा। सभी आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।
4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.org.in के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेंगी।
5. महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है।
6. Admission Monitoring System शुल्क निर्धारण के लिए प्रवेश समिति द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया । कुलपति जी ने कोविड-19 महामारी और कारण गहराये आर्थिक संकट तथा छात्र- छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया कि Admission Monitoring System की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए अथ्यर्थी से स्नातक स्तर पर 100/- रू0 तथा परास्नातक स्तर पर 200/- रू0 शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।

.....2

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका "प्रोस्पेक्ट्स" तैयार करायेगा, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें तथा विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य 250/- रूपये नकद आगामी सत्र 2021-22 के लिए रखा जायेगा।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2021-2022 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 4 प्रतिशत स्थान विकलागों के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा-श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिए आरक्षित होगें। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्पयूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपंरात यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रदद् कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। शुल्क वापिसी की प्रक्रिया 02 माह के अन्दर सम्पन्न करनी होगी।

2. (अ) सत्र 2021-22 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सैमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेगें तथा प्रवेश शुल्क के साथ 200/- रू0 उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।

(ब) एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(स) (i) एल0एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2(इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

.....3

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बी0ए0एल0एल0बी में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(य) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो, परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवम् साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है।

(र) एम0एस0सी(कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।
PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B. Tech. & BCA
उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5% अंको की छूट मान्य होगी।

(ल) एम0एस0सी(एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बी0एस0सी0(एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बी0एस0सी0(एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0(एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होगें।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक प्रतिशत 45% होना चाहिए तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(ब) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(श) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की **अन्तिम तिथि 16 अगस्त, 2021** होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेगें।

- महाविद्यालय खुलने के तिथि : शासनादेश के अनुसार
- स्नातक प्रथम वर्ष में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 13 अगस्त, 2021
- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 31 अगस्त, 2021
- स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 06 सितम्बर, 2021

.....4

- स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अन्तिम तिथि : 06 सितम्बर, 2021
- स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 09 सितम्बर, 2021
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेगें। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स) स्नातक एवं स्नातकोत्तर के ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष पूर्ण कर लिया है एवं परास्नातक स्तर पर पूर्वाद्ध उत्तीर्ण कर लिया है, यदि किन्हीं कारणोंवश आगामी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत छात्र के रूप में देना चाहते है एवं उनके पास कोई प्रयोगात्मक विषय नही है तथा अन्तराल के नियमों के अन्तर्गत आते है, वे समस्त छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकते है।

(द) यदि छात्र/छात्रा कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक है और उसकी अर्हता परीक्षा में दो वर्षों से अधिक का अन्तराल है तो ऐसी दशा में आवासीय पाठ्यक्रमों के निदेशक/विभागाध्यक्ष तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह प्रवेश कर सकते है परन्तु उन्हें छात्र/छात्रा से यह शपथ-पत्र लेना अनिवार्य होगा कि उन्हें:-

- किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता को दोषी नहीं पाया गया है।
- किसी भी न्यायालय में नैतिक अपराध में दण्डित न हुआ हो।
- किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् न हो।
- कहीं सेवारत न हो।

ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश में विभागाध्यक्ष/प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

(य) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नही ले सकेगें।

4. नियमानुसार एल0एल0बी0 06 वर्ष, बी0ए0एल0एल0बी0 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 06 वर्ष परास्नातक अधिकतम 05 में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अथवा नई शिक्षा नीति के निर्देशानुसार होगा। अन्तराल को दृष्टिगत रखते हुये प्रवेश का निर्णय महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा लिया जायेगा तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए नही भेजा जायेगा।

.....5

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें:-

"Subject to order issued under sub-section(4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरणः उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध मे दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) **<u>स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगीः-</u>**

(1) बी0एस0सी0 (फिजीकल सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बी0एस0सी0 (लाइफ सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट वॉयोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(3) बी0एस0सी0 (कृषि) के लिए कला को छोडकर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(4) बी0एस0सी0(गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(5) बी0ए0/बी0कॉम0 के लिए इण्टरमीएिड़ट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

----------6

(6) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडंरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses affered by the CBSE at Senior Secondary Lvevel along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट-1)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) **स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेगें :-**

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र/छात्रा भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी0आई0 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अर्न्तग्रत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) क्रमांक-**ii** क्रमांक- **iii** में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमांक-**i** के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें:-

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य-चक्रानुसार।
(iii) एस0एन0 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित-मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोटः- कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

.....7

(vi) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपाल में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(vii) समिति का यह भी निर्णय हे कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :-

7. (क) **स्नातक कक्षायें:-**
   1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
   2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

   (ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :-
   1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों/ग्रेड का 50 प्रतिशत।
   2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोटः-

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डीर बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेगें।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोडकर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग **17 अंकों से अधिक नही होगा।**

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
   (क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।
   (घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।
2. एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक
   अथवा
   एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक
   अथवा
   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में 3 अंक
   भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है।

.....8

(vi) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपाल में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(vii) समिति का यह भी निर्णय हे कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :-

7. (क) **स्नातक कक्षायें:-**
   1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
   2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

   (ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :-
   1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों/ग्रेड का 50 प्रतिशत।
   2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोटः-

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डीर बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेगें।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोडकर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग **17 अंकों से अधिक नही होगा।**

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
   (क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।
   (घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।
2. एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक
   अथवा
   एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक
   अथवा
   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में 3 अंक
   भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है।

.....8

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पोत्र/पौत्री) 5 अंक

4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को 5 अंक

5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होनें इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-
   (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 8 अंक।
   (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 7 अंक।
   (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 6 अंक।
   (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 3 अंक।
2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-
   (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।
   (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।
   (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।
   (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।
3. एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

   अथवा

   एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को 6 अंक

   अथवा

   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक

   अथवा

   महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।
   (क) प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।
   (घ) प्रतिभाग करने के लिए - 2 अंक।

.....9

नोटः-

उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ख) **सभी कक्षायें:**

1. डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियां के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।

17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी पुत्र-पुत्री (अविवाहित)।

10 अंक

3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) मे कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में।

17 अंक

टिप्पणी:

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नही किया जायेगा।

नोटः-

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मुत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।
2. उपर्युक्त ''1'' से ''3'' के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

.....11

(ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नही करेगें। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नाताकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने की अनुमति नही दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नही की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेगें।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेवसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नही हुआ, उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नही की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

.....11

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. आगरा आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने इंटर की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड से उतीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड/प्रांत द्वारा इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रकिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

12. **नई शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।**

शैक्षणिक कलैण्डर सत्र 2021-22

		विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित तिथियाँ	शासन द्वारा प्रस्तावित तिथियाँ
1.	**Web Registration स्नातक प्रथम वर्ष (प्रवेश परीक्षाओं को छोडकर)**	**01 जुलाई 2021 से**	

आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश -

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा–

स्नातक प्रथम वर्ष में आवेदन हेतु -

1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
3. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की सत्यापित छायाप्रति।
4. आय प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति। (छात्रवृत्ति एवं आरक्षित श्रेणी हेतु)
5. जाति–प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति। (यदि आरक्षण चाहते हों, तो)
6. ई.डब्ल्यू.एस. से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (यदि आरक्षण चाहते हों, तो)
7. विकलांग/भूतपूर्व सैनिक अथवा शिक्षक आश्रित के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
8. संस्था (जिसमें अन्तिम शिक्षा पाई हो) के प्राचार्य/प्राचार्या से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
9. उ.प्र. से बाहर से आने वाली छात्राएँ प्रवजन–प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
10. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
11. घोषणा पत्र मूल रुप में।
12. वेब रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। वेब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद छात्रा महाविद्यालय में रिपोर्ट करेगी।

<u>नोटः</u>–

क. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय सभी मूल शैक्षिक अभिलेख–अंकतालिकाओं, स्थानान्तरण, आय, जाति और चरित्र प्रमाण पत्र आदि साथ लाना अनिवार्य है।

ख. स्नातक द्वितीय, तृतीय और परास्नातक (एम.ए. एम.एससी.) उत्तरार्द्ध की छात्राएं केवल अर्ह परीक्षा (पूर्व वर्षों) के उत्तीर्ण अंकतालिका की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। प्रवेश के साक्षात्कार के समय मूल अंकतालिका लाना अनिवार्य है। एम.एस.सी प्रथम वर्ष में महाविद्यालय द्वारा मैरिट से सीधे प्रवेश दिया जायेगा।

ग. छात्रा को आवेदन फार्म पर प्रथम वर्ष की प्रवेश संख्या और विश्वविद्यालय से प्राप्त नामांकन संख्या लिखना अनिवार्य है।

महाविद्यालय का परिधान -

महाविद्यालय में छात्राओं को सफेद कुर्ता–सलवार पहनकर आना है।

दुपट्टे का चयन कक्षावार इस प्रकार होगा–

बी.ए.	–	मेहरुन
बी.एससी.	–	गहरा हरा (काई)
बी.एससी.–गृहविज्ञान	–	हल्का नीला (आसमानी)
बी.कॉम.	–	हल्का बैंगनी
एम. ए.	–	हल्का सिलेटी (ग्रे)
एम.एससी.	–	गहरा नीला (नेवी ब्लू)
शीतकालीन में	–	महरुन स्वेटर अथवा शॉल डिजाइन रहित (सादा)

नोट:– विवाहित छात्राएं सादा महरुन साड़ी–ब्लाउज पहन सकती हैं।

- शुल्क सम्बन्धी नियम -

1. सम्पूर्ण शुल्क वर्ष में एक बार प्रवेश के समय ही लिया जायेगा जिसमें 200 रुपये उपाधि शुल्क भी शामिल है।
2. शासन द्वारा सत्र के मध्य में बढ़ाया शुल्क भी देय होगा।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा तथा नामांकन फार्म तभी अग्रसारित किए जायेगें, जबकि छात्रा उस सत्र का सम्पूर्ण शुल्क जमा कर देगी।
4. विश्वविद्यालय परीक्षा का प्रवेश पत्र सम्पूर्ण देय धनराशि का भुगतान एवं महाविद्यालय की समस्त सामग्री जो छात्रा के नाम अंकित हो, वापस किए जाने के पश्चात् ही दिया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय के खाते में प्रवेश अंकित हो जाने के बाद आवेदन के साथ जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा।

शुल्क - तालिका (2021-2022)

प्रवेश के समय पूरे वर्ष का शुल्क एवं अन्य वार्षिक शुल्क निम्नवत् है–

शुल्क का नाम	बी.ए.I,II,III प्रयोगात्मक रहित शुल्क	बी.ए.I,II,III प्रयोगात्मक सहित शुल्क	बी.एससी. I,II,III	एम.ए. संगीत (गायन) I,II	एम.ए. संस्कृत I,II
शिक्षण शुल्क	–	–	–	–	–
पंजीकरण शुल्क	2	2	2	2	2
प्रवेश शुल्क	3	3	3	3	3
पंखा शुल्क	12	12	12	12	12
शीतोष्ण शुल्क	24	24	24	24	24
मंहगाई शुल्क	42	42	42	42	42
पुस्तकालय शुल्क	30	30	30	38	38
विकास शुल्क	30	30	30	30	30
पत्रिका शुल्क	15	15	15	15	15
निर्धन छात्रा–कोष शुल्क	12	12	12	12	12
विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	1500	1700	1700	2200	2000
परिचय पत्र शुल्क	8	8	8	8	8
भवन रख–रखाव शुल्क	30	30	30	30	30
क्रीड़ा शुल्क	200	200	200	200	200
लैब आकस्मिक शुल्क	25	25	35	25	25
दीक्षान्त समारोह शुल्क	10	10	10	10	10
छात्र–कल्याण शुल्क	12	12	12	12	12
पुस्तकालय आकस्मिक शुल्क	30	30	30	30	30
सांस्कृतिक शुल्क	50	50	50	50	50
छात्र संघ शुल्क	10	10	10	10	10
जनरेटर/विद्युत शुल्क	100	100	100	100	100
कॉशन मनी	25	25	25	25	25
प्रयोगात्मक शुल्क	–	240	720	240	–
चिकित्सा शुल्क	12	12	12	12	12
मौखिक परीक्षा शुल्क	–	–	–	–	200
उपाधि (डिग्री) शुल्क	–	–	–	–	200
नामांकन शुल्क किसी भी कक्षा हेतु – 300 रु. देय होगा। स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकन शुल्क अनिवार्य है।					

स्ववित्त पोषित कक्षाओं हेतु वार्षिक शुल्क - (2021-2022)

1.	**बी.एससी. (गृहविज्ञान)**		
	I &IIसैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर का शुल्क वर्ष मे एक बार)	–	10,700-00
	III & IV सैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर का शुल्क वर्ष मे एक बार)	–	10,400-00
	V & VI सैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर का शुल्क वर्ष मे एक बार)	–	10,400-00
2.	**बी.कॉम.**		
	प्रथम वर्ष	–	7,300-00
	द्वितीय वर्ष	–	7,000-00
	तृतीय वर्ष	–	7,000-00
3.	**एम.एससी. (जन्तु विज्ञान)**		
	पूर्वार्द्ध	–	14,000-00
	उत्तरार्द्ध	–	14,000-00
4.	**एम.एससी. (रसायन विज्ञान)**		
	पूर्वार्द्ध	–	14,000-00
	उत्तरार्द्ध	–	14,000-00
5.	**एम.ए. (समाजशास्त्र)**		
	पूर्वार्द्ध	–	14,000-00
	उत्तरार्द्ध	–	14,000-00
6.	**बी0ए0 शिक्षाशास्त्र–एक विषय**		
	प्रथम व द्वितीय वर्ष	–	500-00
	तृतीय वर्ष	–	740-00

स्नातक कक्षाओं को छोड़कर स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन कराने हेतु शुल्क 300/– तथा उपाधि (डिग्री) के लिए 200/–पृथक से देय होगा।

प्रति छात्रा 100 रु. जैनरेटर शुल्क/विद्युत शुल्क पृथक से देय होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा यदि कोई शुलक बढ़ाया जाता है तो देय होगा।

शिक्षक - मण्डल

प्राचार्या	:	डॉ. निर्मला यादव, एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत) पी.–एच.डी.

कला संकाय

हिन्दी विभाग	:	1. डॉ. संध्या द्विवेदी, एम.ए., नेट, पी.एच.डी.
		2. रिक्त स्थान
		3. रिक्त स्थान
		4. रिक्त स्थान
		5. रिक्त स्थान
		6. रिक्त स्थान
		7. रिक्त स्थान
संस्कृत विभाग	:	1. डॉ. राज्यश्री मिश्रा, एम.ए., नेट, पी–एच.डी.
		2. अनिता चौरसिया, एम.ए., नेट, पी.एचडी
		3. डॉ. तृलसी देवी, एम.ए., पी–एच.डी.
अंग्रेजी विभाग	:	1. डॉ. रत्ना सक्सैना, एम.ए., पी–एच.डी.
		2. कीर्ति वर्मा, एम.ए., नेट
		3. शाहबुन निषा एम.ए., एफ.फिल, नेट, (जे.आर.एफ.)
		4. डॉ. ज्योति अग्रहरि, एम.ए., पी–एच.डी.
		5. रिक्त स्थान
		6. रिक्त स्थान
		7. रिक्त स्थान
उर्दू विभाग	:	1. डॉ. फरहा तबस्सुम, एम.ए., पी–एच.डी.
		2. जेबा फारुकी, एम.ए., नेट
संगीत विभाग	:	1. डॉ. अन्जु शर्मा, एम.ए., पी–एच.डी.
		2. डॉ. प्रियदर्षिनी उपाध्याय, एम.ए., नेट, पी–एच.डी.
		3. डॉ0 निष्ठा शर्मा, एम.ए., नेट, पी–एच.डी.
चित्रकला विभाग	:	1. डॉ. पूनम, एम.ए., नेट, पी–एच.डी.
		2. श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी, एम.ए., नेट
गृहविज्ञान विभाग	:	1. रिक्त स्थान
		2. रिक्त स्थान
		3. रिक्त स्थान

मनोविज्ञान विभाग	:	1. रिक्त स्थान
		2. रिक्त स्थान
समाजशास्त्र विभाग	:	1. प्रिया सिंह, एम.ए., नेट
		2. ऋचा सिंह, एम.ए., नेट
		3. चर्चा, एम.ए., नेट
		4. शवनम, एम.ए., नेट
		5. निशा, एम.ए., नेट
राजनीतिशास्त्र विभाग	:	1. माया मधुर, एम.ए., नेट
		2. अंकिता ठाकुर, एम.ए., नेट
अर्थषास्त्र विभाग	:	1. रिक्त स्थान
शारीरिक शिक्षा विभाग	:	1. डॉ. अमृता सिंह, एम.ए., नेट, पी–एच.डी.
		2. रिक्त स्थान

विज्ञान संकाय

रसायन विज्ञान विभाग	:	1. कु. रीता दीक्षित, एम.एससी, एम.फिल
जन्तु विज्ञान विभाग	:	1. रिक्त स्थान
वनस्पति विज्ञान विभाग	:	1. रिक्त स्थान

स्ववित्त पोषित संकाय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अर्हताधारी सुयोग्य शिक्षकों की व्यवस्था है। पर्याप्त सख्या में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी महाविद्यालय में कार्यरत है।

विभिन्न समितियाँ

परामर्श दात्री-समिति (Advisory Committee)

1.	डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2	डॉ. रत्ना सक्सैना	–	सचिव
3.	डॉ. तुलसी देवी	–	सदस्या
4.	कु. रीता दीक्षित	–	सदस्या
5.	डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	सदस्या
6.	डॉ0 पूनम	–	सदस्या
7.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
8.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या

आन्तरिक गुणवत्ता - आश्वासन प्रकोष्ठ (I.Q.A.C.)

1.	डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2	डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	संयोजिका
3.	डॉ. तुलसी देवी	–	सदस्या
4.	डॉ. अन्जु शर्मा	–	सदस्या
5.	डॉ. रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
6.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
7.	डॉ. पूनम	–	सदस्या
8.	डॉ. फॅरहा तबस्सुम	–	सदस्या
9.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
10.	श्री निष्ठा शर्मा	–	सदस्य
11.	डॉ. सन्ध्या द्विवेदी	–	सदस्या
12.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	–	सदस्या
13.	श्री अनिल उपाध्याय	–	सदस्य
14.	डॉ. सुशील गुप्ता (एम.डी.)	–	सदस्य
15.	डॉ. शमशाद बानो	–	सदस्या
16.	श्री प्रदीप मित्तल पम्मी	–	सदस्य

अनुशासन - समिति (Discipline Committee)

1.	डॉ. रत्ना सक्सैना	–	मुख्य अनुशासन अधिकारी
2	कु. रीता दीक्षित	–	सह अनुशासन अधिकारी
3.	डॉ. अन्जु शर्मा	–	सदस्या
4.	डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	सदस्य
5.	डॉ. पूनम	–	सदस्य
6.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	सदस्य
7.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्य
8.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	सदस्य
9.	डॉ. संध्या द्विवेदी	–	सदस्य
10.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	–	सदस्य
11.	अनिता चौरसिया	–	सदस्य
12.	डॉ. छाया कुमारी	–	सदस्य
13.	छात्रा प्रतिनिधि	–	नामित

प्रवेश - समिति (Admission Committee)

स्नातक कक्षाएँ (कला-संकाय)

1.	डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2	डॉ. रत्ना सक्सैना	–	संयोजिका
3.	डॉ. अन्जु शर्मा	–	सदस्या
4.	डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	सदस्या
5.	डॉ. पूनम	–	सदस्या
6.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
7.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
8.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
9.	डॉ. संध्या द्विवेदी	–	सदस्या
10.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	–	सदस्या
11.	अनिता चौरसिया	–	सदस्या

परास्नातक कक्षाएँ (कला संकाय)

1.	डॉ0 अंजु शर्मा	–	प्रभारी
2	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
3.	डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	सदस्या

स्नातक/परास्नातक कक्षाएँ (विज्ञान संकाय)

(बी.एससी/एम.एससी)

1.	कु. रीता दीक्षित	–	प्रभारी

छात्रवृत्ति-समिति (Scholarship Committee)

सामान्य वर्ग	1.	प्राचार्या	–	अध्यक्षा
	2.	डॉ. रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
	3.	डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	सदस्या
	4.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
	5.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	संयोजिका
अन्य पिछड़ा वर्ग	1.	प्राचार्या	–	अध्यक्षा
	2.	डॉ. रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
	3.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
	4.	अनिता चौरसिया	–	सदस्या
	5.	डॉ. पूनम	–	संयोजिका
अल्पसंख्यक वर्ग	1.	प्राचार्या	–	अध्यक्षा
	2.	डॉ. रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
	3.	कु. अनिता चौरसिया	–	सदस्या
	4.	प्रज्ञा केसरवानी	–	सदस्या
	5.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	संयोजिका
अनुसूचित जाति/	1.	प्राचार्या	–	अध्यक्षा
जनजाति	2.	डॉ. रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
	3.	अनिता चौरसिया	–	सदस्या
	4.	डॉ. पूनम	–	संयोजिका

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S. Committee)

1.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	योजनाधिकारी (प्रथम इकाई)
2.	डॉ. संध्या द्विवेदी	–	योजनाधिकारी (द्वितीय इकाई)

क्रीड़ा समिति (Games Committee)

1.	डॉ. अमृता सिंह	–	प्रभारी
2.	डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	सदस्या
3.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
4.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
5.	अनिता चौरसिया	–	सह–प्रभारी
6.	छात्रा प्रतिनिधि (नामित)	–	सदस्याएँ

रेन्जर्स समिति (Rangers Committee)

1.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	प्रभारी
2.	डॉ. रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
3.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
4.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
5.	छात्रा प्रतिनिधि (नामित)	–	सदस्याएँ

चिकित्सा प्रकोष्ठ (Medical Cell)

1.	अनिता चौरसिया	–	प्रभारी
2.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
3.	डॉ0 राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
4.	छात्रा प्रतिनिधि (नामित)	–	सदस्याएँ

कैरियर एण्ड काउन्सलिंग प्रकोष्ठ (Career and Counciling Cell)

1.	डॉ0 निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2.	डॉ0 फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
3.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
4.	डॉ0 पूनम	–	संयोजिका
5.	डॉ. छाया कुमारी	–	सदस्या

समान सुअवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell)

1.	डॉ0 निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2.	डॉ0 राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
3.	कु. रीता दीक्षित	–	सदस्या
4.	अनिता चौरसिया	–	सदस्या
5.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	–	संयोजिका

छात्र कल्याण समिति (Student Welfare Committee)

1.	डॉ0 निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2.	डॉ0 राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
3.	डॉ0 निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
4.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	–	सदस्या
5.	अनिता चौरसिया	–	सदस्या
6.	डॉ0 पूनम	–	संयोजिका
7.	छात्रा प्रतिनिधि (नामित)	–	सदस्याएँ

सांस्कृतिक समिति (Cultural Committee)

1.	डॉ0 निष्ठा शर्मा	–	प्रभारी
2.	डॉ0 अन्जु शर्मा	–	सदस्या
3.	डॉ0 रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
4.	डॉ0 पूनम	–	सदस्या
5.	डॉ0 फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
6.	डॉ0 राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
7	डॉ. संध्या द्विवेदी	–	सदस्या
8.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	–	सदस्या
9.	छात्रा प्रतिनिधि (नामित)	–	सदस्याएँ

निर्धन छात्र-सहायता-समिति (Poor Student help Committee)

1.	डॉ0 निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2.	डॉ0 फरहा तबस्सुम	–	संयोजिका
3.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
4.	डॉ0 संध्या द्विवेदी	–	सदस्या

शोध - समिति (Research Committee)

1.	डॉ0 निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
3.	डॉ0 प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	सदस्या
4.	डॉ0 रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
5.	डॉ0 पूनम	–	सदस्या
6.	डॉ0 फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
7.	डॉ0 राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
8.	डॉ0 निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
9.	डॉ0 संध्या द्विवेदी	–	सदस्या
11.	डॉ0 तुलसी देवी	–	संयोजिका

पत्रिका-समिति (Megzine Committee)

1.	डॉ0 निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	संरक्षिका
2.	डॉ0 तुलसी देवी	–	मुख्य सम्पादिका
3.	डॉ0 राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
4.	डॉ0 रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
5.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
6.	डॉ0 पूनम	–	सदस्या
7.	डॉ0 फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
8.	डॉ0 निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
9.	डॉ. संध्या द्विवेदी	–	सदस्या
10.	अनिता चौरसिया	–	सदस्या
11.	छात्रा प्रतिनिधि (नामित)	–	सदस्याएँ

पुस्तकालय-समिति (Library Committee)

1.	कु0 रीता दीक्षित	–	प्रभारी
2.	डॉ0 राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
3.	डॉ0 रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
4.	डॉ0 फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
5.	डॉ0 पूनम	–	सदस्या
6.	डॉ0 निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
7.	डॉ0 संध्या द्विवेदी	–	सदस्या
8.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	–	सदस्या
9.	अनिता चौरसिया	–	सदस्या

शिकायत निवारण-प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell)

1.	डॉ0 निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2.	डॉ0 फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
3.	डॉ0 राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
4.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
5.	डॉ0 रत्ना सक्सैना	–	सचिव

एण्टी रैगिंग-प्रकोष्ठ (Anti Raging Cell)

1.	डॉ0 फरहा तबस्सुम	–	प्रभारी
2.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
3.	डॉ0 निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
4.	अनिता चौरसिया	–	सदस्या
5.	डॉ. छाया कुमारी	–	सदस्या

सैक्सुअल हरेसमेण्ट निवारण-प्रकोष्ठ (Sexual Harassment Prevention Cell)

1.	डॉ0 निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2.	कु0 रीता दीक्षित	–	सचिव / सदस्या
3.	डॉ0 तुलसी देवी	–	सदस्या
4.	डॉ0 रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
5.	रिक्त स्थान	–	सदस्य
6.	रिक्त स्थान	–	सदस्य

दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजना प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ

(Cell for differently abled students and SEDGs)

1.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	–	संयोजक
2.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
3.	डॉ0 राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
4.	कु. अनिता चौरसिया	–	सदस्या

मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ

(Mentaring and Counsulting Cell)

1.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	संयोजक
2.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
3.	डॉ0 राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
4.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
5.	डॉ. सीमा शर्मा	–	सदस्या

प्लेसमेन्ट प्रकोष्ठ

(Placment Cell)

1.	डॉ. संध्या द्विवेदी	–	संयोजक
2.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
3.	डॉ. छाया कुमारी	–	सदस्या
4.	डॉ. उपेन्द्र शर्मा	–	सदस्या
5.	श्री संजीव गुप्ता	–	सदस्या

परीक्षा समिति प्रकोष्ठ

(Examination Committee Cell)

1.	डॉ0 निर्मला यादव (प्राचार्या)	–	अध्यक्षा
2.	कु0 रीता दीक्षित	–	संयोजिका
3.	डॉ0 रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
4	डॉ0 प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	सदस्या
5.	डॉ. पूनम	–	सदस्या
6.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
7.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 क्रियान्वयन समिति प्रकोष्ठ

(National Educational Policy-2020 Implemention Committee Cel)

1.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	संयोजक
2.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
3.	डॉ0 रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
4.	डॉ0 प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	सदस्या
5.	डॉ. पूनम	–	सदस्या
6.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
7.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	–	सदस्या

संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ

(Implemention Development Plan Cel)

1.	डॉ0 रत्ना सक्सैना	–	संयोजक
2.	डॉ. अंजू शर्मा	–	सदस्या
3.	डॉ0 प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	सदस्या
4.	डॉ0 पूनम	–	सदस्या
5.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
6.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
7.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
8.	डॉ. संध्या द्विवेदी	–	सदस्या
9.	कु0 अनिता चौरसिया	–	सदस्या

ऑनलाइन शिक्षा एवं एल.एम.एस. प्रकोष्ठ

(Online Education and LMS Cell)

1.	डॉ. संध्या द्विवेदी	–	संयोजिका
2.	कु0 अनिता चौरसिया	–	सदस्या
3.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	–	सदस्या
4.	डॉ. छाया कुमारी	–	सदस्या
5.	डॉ. उपेन्द्र शर्मा	–	सदस्या
6.	श्री संजीव गुप्ता	–	सदस्य

शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (Teacher Reskilling Cel)

1.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	संयोजिका
2.	कु. रीता दीक्षित	–	सदस्या
3.	डॉ0 प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	सदस्या
4.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	सदस्या
5.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
6.	कु0 अनिता चौरसिया	–	सदस्या
7.	डॉ. उपेन्द्र शर्मा	–	सदस्य

गतिविधि क्लब प्रकोष्ठ (Activity Cel)

1.	कु0 अनिता चौरसिया	–	संयोजिका
2.	डॉ. अन्जू शर्मा	–	सदस्या
3.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
4.	डॉ. संध्या द्विवेदी	–	सदस्या
5.	श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी	–	सदस्या

भारतीय भाषा संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ

(Indian Language and Cultural Arts Cel)

1.	डॉ. राज्यश्री मिश्रा	–	संयोजिका
2.	डॉ. रत्ना सक्सैना	–	सदस्या
3.	डॉ. पूनम	–	सदस्या
4.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
5.	डॉ. निष्ठा शर्मा	–	सदस्या
6.	डॉ. संध्या द्विवेदी	–	सदस्या
7.	डॉ अनिता चौरसिया	–	सदस्या

उद्योग-अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ

(Industriy-Academic Integration and Skill Development Cel)

1.	डॉ. पूनम	–	संयोजिका
2.	कु0 रीता दीक्षित	–	सदस्या
3.	डॉ. फरहा तबस्सुम	–	सदस्या
4.	श्रीमती ऋचा सिंह	–	सदस्या
5.	श्रीमती शाहबुन निशा	–	सदस्या
6.	डॉ. छाया कुमारी	–	सदस्या

(नोट– समितियों में सत्र के मध्य में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है)

,

शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग

1. श्रीमती ममता गुप्ता	–	तबला संगतकार	(एम.ए.–तबला)
2. श्रीमती फूलमाला राजन	–	प्रयोगशाला सहायक	(मनोविज्ञान)
3. श्री अनिल कुमार	–	प्रयोगशाला सहायक	(जन्तु विज्ञान)
4. श्रीमती अरुणा भट्ट	–	प्रयोगशाला सहायक	(वनस्पति विज्ञान)
5. श्री गजेन्द्र सिंह	–	प्रयोगशाला सहायक	(रसायन विज्ञान)
6. श्रीमती शैलजा पाठक	–	प्रयोगशाला सहायक	(गृहविज्ञान)
7. श्रीमती लौंगश्री	–	प्रयोगशाला सहायक	(गृहविज्ञान)
8. श्रीमती दिनेश कुमारी	–	प्रयोगशाला परिचर	(वनस्पति विज्ञान)
9. श्री अमर सिंह	–	चौकीदार	
10. श्री जितेन्द्र सिंह	–	चपरासी	
11. श्री राधेश्याम गुप्ता	–	खादिमा–गृहविज्ञान	
12. श्री रामवीर	–	माली–वनस्पति विज्ञान	
13 श्रीमती मालती देवी	–	प्रयोगशाला परिचर (रसायन विज्ञान)	
14. श्री सुधीर कुमार राजौरिया	–	चपरासी (कला)	
15. श्री ईशाचरन	–	जमादार	
16. श्री योगेष कुमार	–	चपरासी	
17. **रिक्त पद**	–	कार्यालय अधीक्षक	
18. **रिक्त पद**	–	नैत्यिक लिपिक	
19. **रिक्त पद**	–	नैत्यिक लिपिक	
20. **रिक्त पद**	–	पुस्तकालयध्यक्ष	
21. **रिक्त पद**	–	पुस्तकालय लिपिक	
22. **रिक्त पद**	–	दफ्तरी	
23. **रिक्त पद**	–	बुक लिफ्टर	
24. **रिक्त पद**	–	चौकीदार	
25. **रिक्त पद**	–	माली	
26. **रिक्त पद**	–	माली	
27. **रिक्त पद**	–	प्रयोगशाला परिचर (जन्तु विज्ञान)	
28. **रिक्त पद**	–	प्रयोगशाला परिचर (मनोविज्ञान)	

प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों की सूची

1. श्री राजेश्वर प्रसाद बंसल	–	अध्यक्ष
2. श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	–	उपाध्यक्ष
3. श्री अनुपम कुमार गुप्ता	–	कोषाध्यक्ष
4. श्री अनिल उपाध्याय	–	सचिव
5. श्री प्रदीप मित्तल (पम्मी)	–	उप–सचिव
6. श्री महेन्द्र पाल सिंह चौहान	–	लेखा–निरीक्षक
7. श्री राजनाथ गुप्ता	–	सदस्य
8. श्री हरिओम गुप्ता (आदर्श)	–	सदस्य
9. श्री राजकुमार मित्तल	–	सदस्य
10. श्री (डॉ.) नीरज कुमार गुप्ता	–	सदस्य
11. श्री महेन्द्र प्रताप बंसल	–	सदस्य
12. श्री धर्मेन्द्र मोहन गुप्ता	–	सदस्य
13. श्री अनूप चन्द्र जैन	–	सदस्य
14. श्री विजयकान्त उपाध्याय	–	सदस्य
15. श्री ----------	–	सदस्य
16. श्रीमती शशि शर्मा	–	सदस्य
17. श्री मनीष असीजा	–	सदस्य
18. डॉ. निर्मला यादव	–	प्राचार्या–पदेन सदस्य
19. डॉ. रत्ना सक्सैना	–	शिक्षिका प्रतिनिधि–सदस्य
20. कु. रीता दीक्षित	–	शिक्षिका प्रतिनिधि–सदस्य
21. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	–	शिक्षिका प्रतिनिधि–सदस्य
22. डॉ. पूनम	–	शिक्षिका प्रतिनिधि–सदस्य